बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
टॉल फ्री दूरभाष सं0– 18003456185

राज्य के मत्स्य पालकों के लिए विशेष योजना

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु निम्नांकित योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं:–

(क) निजी सहभागिता से मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण:–

- हैचरी का निर्माण अनुदानित दर पर किया जाएगा। हैचरी की इकाई लागत ₹15.00 लाख निर्धारित है जिसका 50 प्रतिशत अर्थात् ₹7.50 लाख अनुदान के रूप में होगा तथा शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुक द्वारा वहन किया जाएगा। अनुदान एक बार देय होगा।
- न्यूनतम 8–10 मिलियन फ्राई वार्षिक उत्पादन क्षमता के हैचरी का निर्माण तीन एकड़ भूमि में किया जाना होगा।

(ख) नए तालाब के निर्माण की योजना :–

- योजना का कार्यान्वयन निजी क्षेत्र में किया जाएगा। इस योजना में पाँच फीट मिट्टी यांत्रिक संसाधन से कटाई कर तालाब का निर्माण किया जाएगा। एक हे0 जलक्षेत्र के तालाब की निर्धारित लागत ₹697200.00 मात्र होगी जिसका 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना :–

- पूर्व से निर्मित न्यूनतम एक एकड़ जलक्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब, नव निर्मित तालाब अथवा जीर्णोद्धार होने वाले तालाबों के बाँध पर 1000 अदद् ट्यूबवेल एवं 1000 अदद् पम्पसेट (पाँच एच0पी0 क्षमता) का अधिष्ठापन किया जाएगा।
- ट्यूबवेल की इकाई ₹50,000.00 तथा पम्पसेट की इकाई लागत ₹25,000.00 है जिसका 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुक द्वारा वहन किया जाएगा।
- लाभुक को ट्यूबवेल एवं पम्पसेट दोनों का लाभ एक साथ देय होगा अथवा दोनों में एक की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर दूसरे की सुविधा दी जा सकेगी।

आवेदन का प्रपत्र

आवेदक का नाम :

पिता का नाम :

स्थायी पता :

संपर्क दूरभाष संख्या :

उपलब्ध जलक्षेत्र का खाता, खेसरा तथा रकबा (एकड़ में)

उपलब्ध जलक्षेत्र का लोकेशन :

प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त घोषणाएँ सही हैं तथा उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

उपयुक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को विज्ञापन प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना